न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 149 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कमला पत्नि मांगीलाल 2. दुर्गा पुत्री मांगीलाल 3. रेखा पुत्री मांगीलाल 4. रणजीत पुत्र मांगीलाल जातिगण जाट निवासीगण अबकाई की ढाणी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		मृतक लाबुराम पुत्र देरामराम के वारिसान– 1. गोगीदेवी पत्नी लाबुराम 2. देवाराम पुत्र लाबुराम जातिगण जाट निवासीगण अबकाई की ढाणी तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक :– 28/11/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम अबकाई की ढाणी पटवार हल्का चौपड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 132/2 रकबा 2.6100 है0, खसरा नंबर 130 रकबा 0.2000 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी खसरा नंबर 138, 139 व 140 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.7700 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थीया के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा अबकाई की ढाणी के खसरा नंबर 132/2, 130 कृषि भूमि में से दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 से 2 बावजूद सूचना/तामिली बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एंक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1580 दिनांक 21.10.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चौपड़ा, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि सरहद मौजा अबकाई की ढाणी के ख0नं0 138, 139, 140 में जाने हेतु ख.नं. 132/2 रकबा 2.61 है0 किस्म बा.दो. में से रास्ता चाहा गया हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 130 किस्म गै0मु0 आखरिया सरकारी भूमि से मिलता है, जो कि प्रतिबन्धित भूमि नहीं हैं। ख.नं. 132 में से रास्ता आगे जाकर गै0मु0 आगोर ख.नं. 129 में मिलता है, जो कि प्रतिबन्धित श्रेणी गै0मु0 आगोर में से दिया जाना सम्भव नहीं हैं। उक्त प्रस्तावित भूमि में पश्चिम दिशा में ख.नं. 130 के पास दीवार व टीन शेड स्थित है, जो कि प्रकरण प्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् करना बताया। प्रस्तावित भूमि के खातेदार देवाराम पुत्र लाबूराम व गोगी देवी पत्नी लाबूराम है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 275 मीटर हैं। वर्तमान मे अन्य कोई नजदीक रास्ता प्रार्थी की खातेदारी में जाने हेतु नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 275 मीटर × 4 मीटर = 0.1100 है0 हैं। ख0नं0 132/2 रकबा 2.6100 है0 में से 0.0840 है0 तथा ख.नं. 130 रकबा 0.2000 है0 में से 0.0260 है0 भूमि रास्ता हेतु दिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 114934/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (114934/- रू0 × 2 × 0. 1100 है0 = 25286/- रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 132/2, 130 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत चौपड़ा की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम अबकाई की ढाणी के खसरा नम्बर 138, 139 व 140 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 132/2, 130 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत रास्ते दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पंत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

और 2 अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,
पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में
प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना
परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चौपडा, पटवारी हल्का की
रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में
से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग
खसरा नम्बर 132/2, 130 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि
प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251
(क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार
किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया
जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम अबकाई की ढाणी पटवार हल्का चौपड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौपड़ा तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 138, 139 व 140 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.7700 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 132/2, 130 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (114934/– रू0 × 2 × 0.1100 है0 = 25286/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो,/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	132/2 बा.दो.	2.6100 है0	गोगीदेवी पत्नि लाबूराम हि0 1/2 जाति–जाट सा. देह खोतदार	210 मी0× 4 मी0 = 0.0840 है0	9654.5 /–रू
02.			देवाराम पुत्र लाबूराम हि0 1/2 जाति–जाट सा. देह खोतदार		9654.5 /–रू

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

03.	130 गै०मु० आखरिया	0.2000 है०	राज. सरकार	65 मी० × 4 मी० = 0.0260 है०	5977 /— रु

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)